




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चक्रता के अन्तर्गत समरजैन्स से चिचराड़ गाव तक मोटर मार्ग का हस्तान्तरण प्रस्ताव किया गया।

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्थीम की अवस्थिति :-
- राज्य / संघराज्यक्षेत्र
 - ज़िला
 - ज़िला वन प्रभाग
 - पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:-
- वन का प्रकार **सिंधुलि शैतानी**
 - वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ०.१
 - प्रजातिवार रथानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना
 - पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी :-
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :-
12. बन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा :-
- पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान बन्यजीव का व्यौरा :
 - क्या राष्ट्रीय उद्यान, बन्यजीव अभ्यासण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अभ्यासण गतियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बारे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य बन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)
 - क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्यजीव अभ्यासण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गतियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थिता है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बारे और मुख्य बन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आक्षण व्याप्ति जिवं हाथी :-
गतिधारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वोक्त के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बाहर और मुख्या वन्य जीव याढ़न की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं)
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके बारे
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासती स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण रास्तारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए राज्य प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
14. पूर्वोक्त के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की :- युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :
- क्या भाग - 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अवैधता अपरिहार्य है और परियोजना के लिए
 - यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि
15. किए गए अतिक्रमण के बारे :
- क्या अविनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)
 - यदि हाँ की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए
 - क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) ✓
 - क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) ✓
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, रागय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बारे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। $0.078 \times 2 = 0.156$ लड्डू 6130/-
 - क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : 20,280/-
 - क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान दिए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।
16. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित :- महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।
17. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट ~~पारंपरागीकृत विवरण देने की जगह~~ कृपया उपरी तारीख 15/02/2015 की तारीख से अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए इसके लिए निम्नलिखित दो रूपरेखाएँ दिया जाना चाहिए जिनमें से एक दिनांक 16/02/2015 की तारीख से अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए।
18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट ~~पारंपरागीकृत विवरण देने की जगह~~ कृपया उपरी तारीख 15/02/2015 की तारीख से अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए इसके लिए निम्नलिखित दो रूपरेखाएँ दिया जाना चाहिए जिनमें से एक दिनांक 16/02/2015 की तारीख से अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए।
- स्थान..... लड्डू
- 
लड्डू प्रभागीय वनविकारी
वनस्पति वन प्रभाग
कृत्रिम
- नाम (अ. देवेंद्र देवेंद्र) 
प्रभागीय वनविकारी
सरकारी मोहल्लराजा वन प्रभाग

लड्डू वनविकारी देवेंद्र देवेंद्र